

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....122...../2026
सं०सं० अ०नि० (02) 28/2026/नि०सं०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 678(24) दिनांक 25.03.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश अदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री जयप्रकाश, विधि पदाधिकारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत अपनी पत्नी एवं नवजात शिशु के देखभाल हेतु दिनांक 06.04.2026 से 23.04.2026 तक कुल 18 (अठारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि०(02) 28/2026/नि०सं०.....1024.....

दिनांक.....20/4/26.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य अभियोजक, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्री जयप्रकाश, विधि पदाधिकारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि०(02) 28/2026/नि०सं०.....1024.....

दिनांक.....20/4/26.....

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

12.4.26
उप सचिव।

Jawahar